प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक

ST ANTONY HANSHKHEDA PARA LKO

पत्रांक– बेसिक / आर0टी0ई0 / 1399 / 2020–21 दिनांक– 9-7-2020.

विषयः–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(ग) के अन्तर्गत गैरसहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 / पूर्व प्राथमिक में 25 प्रतिशत सीटों के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के परिवार के बच्चों के प्रवेश शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–582 / 79–5–2016–29 / 09टी0सी0–II दिनाक– 03 मार्च 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के कम में गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 / पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटों के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के परिवार के बच्चों का शैक्षिक सत्र 2020–21 में प्रवेश किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही में लाटरी के आधार पर आपके विद्यालय में संलग्न सूची के अनुसार बच्चों का नाम प्रकाशित हुआ है।

अतः लाटरी के आधार पर पात्र आवेदन पत्रों के अनुमोदनोपरान्त सूची संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि सूची में अंकित बच्चों का प्रवेश यथाशीघ्र करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उक्त कम में प्रवेशित बालक / बालिकाओं के नाम व पिता के नाम व सीरियल नं0 आदि की सूचना से अवगत करायें। उक्त के अतिरिक्त आप को यह भी निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि आर0टी0ई0 के तहत पूर्व से प्री–प्राईमरी एवं कक्षा 01 में प्रवेशित बालक / बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा कक्षा 08 तक अनवरत संचालित रहेगी। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार प्रवेशित बालक / बालिका से किसी प्रकार का कोई शुल्क कदापि नहीं लिया जायेगा।

सलग्नक–सूची

भवदीय

(दिनेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

पृ0सं0 व दिनांक–उक्तवत्।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियेां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–जिलाधिकारी लखनऊ।

2–मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ

3–जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने नियंत्रणाधीन विद्यालयों में संदर्भित बालक / बालिकाओं के प्रवेश करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

4–खण्ड शिक्षा अधिकारी नगरक्षेत्र (समस्त जोन) लखनऊ को इस निर्देश के सथ कि उक्त बच्चों का विद्यालय में प्रवेश कराते हुए सूंचना निर्धारित प्रारूप पर पत्र प्राप्ति के 04 दिवस में उपलब्ध करायें।

5–सम्बन्धित अभिभावक।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ